संख्या-35/2021-1092/58-2021-118/2016

प्रेषक,

एम.वी.एस.रामी रेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2021**

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्याज बीज की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सं0-36/ आई0टी0सेल/2021-22, दिनांक 17.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में उच्च कोटि के प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु चयनित 26 जनपदों खरीफ एवं रबी फसलों में उच्च कोटि के प्याज बीज के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है-

"खरीफ एवं रबी मौसम में प्याज बीज की उपयुक्त प्रजाति एग्रीफाउण्ट डार्क रेड, भीमा सुपर, एल-883 एवं एग्रीफाउण्ट लाइट रेड प्रजातियों हेतु राजकीय संस्थाओं द्वारा सूचित उनकी दरों पर अधिकतम 4.0 हे0 धनराशि रू0-12000/- प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमन्य अनुदान की सीमा तक प्याज बीज क्रय कर चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। शेष बीज की व्यवस्था चयनित संस्थाओं से कृषक द्वारा स्वयं अपने स्रोत से की जायेगी। अतः प्याज बीज की गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु सीधे जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसन्धान एवं विकास प्रतिष्ठान (एन0एच0आर0डी0एफ0), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित(नैफेड) एवं नेशनल सीड कारपोरेशन से उनकी दरों पर क्रय कर चयनित लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की सीमा धनराशि रू0-12000/- प्रति हेक्टेयर तक उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कृषकों के चयन में पारदर्शिता एवं समतुल्यता बनी रहे एवं योजना में अनुदानित धनराशि कृषको को डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किये जाने के संबंध में

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद स्तर पर निम्नानुसार एक कमेटी गठित की जाती है, जिसकी देख-रेख में उक्त कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय-

(1) जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी(सी.डी.ओ.) अध्यक्ष
(2) संबंधित मण्डल के उपनिदेशक, उद्यान सदस्य
(3) जिला उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव

भवदीय,

(एम.वी.एस. रामी रेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-35/2021-1092(1)/58-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in